"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मई 2016—— ज्येष्ठ 9, शक 1938

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-5/2015/9 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 3 के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(छ) लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भरती के पदों को छोड़कर, शासन के सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों पर एवं संबंधित संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 2% पदों पर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति उक्त नियम के अधीन की जायेगी."

No. F 10-5/2015/9. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the State of Chhattisgarh, Distinguished Players in the Government Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After clause (f) of rule 3, the following shall be added, namely :-

"(g) Except the post of direct recruitment coming under the limitation of the Public Service Commission, the distinguished players shall be appointed under the said rules on the available vacant posts and on maximum 2% post of total number of sanctioned posts in concerned cadre of direct recruitment of Class-III and IV of all the departments of Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .